नम्बर अहकाम हुक्म में	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर में तारीख अहकाम की इस की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8/3/2018	राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 19/2014 भाकरराम बनाम बीजाराम वगेराह अतर्गत धारा 229 आर.टी. एक्ट वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। उभयपक्षों की बहस सूनी प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया की ग्राम सर की भूमि खसरा न 350 रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा, खसरा न 356 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा खसरा न 362 रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा खसरा न 363 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा खसरा न 372 रकबा 17 बीघा खसरा न 380 रकबा 18 बिस्वा खसरा न 381 रकबा 43 बीघा 9 बिस्वा व खसरा न 438 रकबा 48 बीघा 04 बिस्वा में 1/10 हिस्से की भूमि के खातेदारी घोषणा का दावा प्रस्तुत किया की वादी के पिता बस्ताराम 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा मांगीया पुत्र वेनाराम का था बस्ताराम के चार लडके व पत्नी गवरी थी इस कारण वादी का 1/ हिस्सा बनता है प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों एवं संरपच से मिलीभगत कर नामान्तरकरण सख्या 100 द्वारा अपना 1/4 –1/4 हिस्सा दर्ज करवा लिया जबकि इस नामान्तकरण का इन्द्राज का आधार बटवाडा बताया गया जबकि बटवारा सयुक्त खातेदारी के होता है तथा बटवारे में किसी का हिस्सा खत्म नही किया जाता प्रतिवादी 2 व 3 ने एकबालिया जवाब दावा पेश किया और पत्रावली प्रतिवादी 4 के जवाब दावे के लिए चल रही थी। समाज के मौजूद व्यक्तियों ने समझाइश कर पक्षकारो ने राजीनामा करवा दिया और राजीनामें के अनुसार बटवारे की डिक्री हेतू दिनांक 23.1.2013 को राजीनामा पेश किया गया जिस पर वादी प्रतिवादी 2 कानाराम प्रतिवादी 3 नसिगराम व इनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर न्यायालय द्वारा राजीनाम स्वीकार कर पत्रावली आदेश में रखी गई एवं दिनांक 12.2.2014 को प्रतिवादी सख्या 4 व 5 के न्यायालय में पेश नही होने के आधार पर दावा खारिज कर दिया गया। निर्णय दिनांक 12.2.2014 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है अगर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे पर न्यायालय सहमत नही था तो केवल राजीनामें को निरस्त किया जा सकता था उसके आधार पर वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता था दावे की कार्यावाही राजीनामा पेश करने की. स्टेज से वापस शुरू की जाती तथा पक्षकारों को अपने अपने साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देते। प्रार्थना पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत एवं राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से नामान्तरकरण संखया 100 का बटवारा बताकर स्वीकृत करवा दिया जबकि सभी भूमि के सहखातेदार नही थे इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 100 देखने मात्र से गलत है, न्यायालय द्वारा राजीनामे मे वादी का तथा प्रतिवादी 2 व 3 का हिस्सा माना है तथा भूमि इन दोनो के नाम ही दर्ज है तो अन्य प्रतिवादीगण किस प्रकार से हितबद्ध पक्षकार है निर्णय में नही बताया इसके अतिरिक्त उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना राजीनामा स्वीकार नही किया जावे तो दावे की सुनवाई जारी रखनी चाहिए थी, अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया और प्रार्थी की ओर से लिखित बहस दिनांक 5.5.2017 को पेश की गई है। हमने बहस पर मनन किया तथा मूल दावे की पत्रावली का अवलोकन किया मूल दावे की पत्रावली में 23.1.2013 का मार्क किया हुआ राजीनामा अवश्य पेश है किन्तु राजीनामा की पोस्ट पर तस्दीक नही है तथा एक खाली आदेशिका पर पक्षकारों के हस्ताक्षर किये हुये है किन्तु किसी प्रकार का न्यायालय कार्यावाही हुई हो प्रतीत नही होता है इस संबध में दिनांक 12.2.2014 को एक विस्तृत आदेश पारित किया गया था कि प्रतिवादी 1,4, व 5 को समुचित सुनवाई के अवसर दिये बैगर उनकी अनुपस्थिति में उनके हिते के विरूद्ध को आदेश पारित नही किया जा सकता।	

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी 2 व 3 का जवाबदावा पेश है तथा 1972 मे मौखिक बटवारे व लिखित के आधार नामान्तकरण होना बताया गया है प्रतिवादी 1 ,4 व 5 राजीनामे मे शामिल नहीं है और दावे का निर्णय किया गया था प्रार्थी का अब यह कहना है कि उनका राजीनामा होना नही भी माना जावे तो वादी को आगे की कार्यावाही के लिए समय देना चाहिए था हमारे विचार से खातेदारी घोषणा के दावे मे जिन पक्षकारों का पक्षकार मुकदमा बनाया है उन्हे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपना अपना पक्ष रखने के लिए समुचित अवसर देना चाहिए और यही न्याय का नेसर्गिग सिद्धान्त है इस परिपेक्ष में हमारा ऐसा मत है कि जबतक दावे को गुणावगुण कर विचरण नही किया जाता है कोई आदेश या अंतिम निर्णय इस प्रार्थना पत्र में पारित करना मुनासिब नही समझते है वादी चुकि यह

बात लेकर आया है कि उसे व अन्य पक्षकारो को साक्ष्य सबूत पेश करने का न्योचित अवसर देना चाहिए परिणाम स्वरूप वादी को अपने वाद को सिद्ध करने के लिए अवसर देने की बात को मानते हुये हम रिव्यु प्रार्थना पत्र इस बिनाय पर स्वीकार करते है कि वादी को वाद के गुणावगुण के विचरण हेतू समय दिया जावें फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 229 आरटी एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा मूल दावे की पत्रावली में उभय पक्षों की सुनवाई की जावें। आदेश सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्फतर दाखिल हो।

17/7/2018

उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner